राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

संख्या 1798/रा0नि0आ0अनु0-2/916/2008

देहरादून : दिनांक 22 सितम्बर, 2008

## अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 748/XII(1)/08/86(27)/2007 दिनांक 21 सितम्बर, 2008 के क्रम में मैं, बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि राज्य के समस्त 12(बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की **जिला पंचायतों के उपाध्यक्षों** का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे और इस निर्वाचन हेतु यह निर्वाचन प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी:-

| **नामांकन का दिनांक व समय** | **नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय** | **नामांकन पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय** | **मतदान का दिनांक व समय** | **मतगणना का दिनांक व समय** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03.10.2008 (पूर्वाह्न 1100 बजे से अपराह्न 1500 बजे तक) | 03.10.2008 (अपराह्न 1530 बजे से कार्य की समाप्ति तक) | 06.10.2008 (पूर्वाह्न 1100 बजे से अपराह्न 1500 बजे तक) | 10.10.2008 (पूर्वाह्न 1000 बजे से अपराह्न 1500 बजे तक) | 10.10.2008 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद) |

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी उपरोक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, के नियम-5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में नोटिस अपने स्तर से दिनांक **24.09.2008** को जारी करेंगे तथा उसकी प्रति अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों के अन्तिम ज्ञात पते पर भेजेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय, जिला पंचायत, तहसील कार्यालयों और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा। उक्त नियमावली के नियम-3(2) के अनुसार इस निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) होंगे। निर्वाचन अधिकारी अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम-4 के अनुसार एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

क्रमशः......2

3. उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधत्व प्रणाली के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा होगा, जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में हिन्दी में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम-12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हैं। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग की अनुमति से यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा।

ह0.

( बिपिन चन्द्र चन्दोला )

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

<u>संख्या 1798(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/916/2008 तद्‌दिनांक।(फैक्स)</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)
14. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)
15. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)
16. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।(हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (हरिद्वार को छोड़कर)

क्रमशः.......3

18. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित
कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।

19. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।

20. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की दस (10) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।

21. निजी सचिव, माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त।

22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

23. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

24. गार्ड फाईल अनुभाग-2।

आज्ञा से,
ह0.
( जे0आर0लापड़ )
संयुक्त सचिव।